न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2016-018(GCMS2016-00143)

1. हीराराम पुत्र मोडाराम जाट
2. चेतनराम पुत्र मोडाराम जाट
3. रुगाराम पुत्र मोडाराम जाट

निवासीगण गांव रायमलवाडा,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मोहनराम पुत्र मोडाराम जाट
2. कमला पुत्री गोरखराम जाट
3. बरजु पुत्री गोरखराम जाट
4. रामु पुत्री गोरखराम जाट
5. पप्पु पुत्री गोरखराम जाट
6. सुमन पुत्री गोरखराम जाट
7. जगमालराम पुत्र गोरखराम जाट
8. ओमाराम पुत्र गोरखराम जाट
9. किस्तुरी पत्नी गोरखराम जाट
10. डालूराम पुत्र कुम्भाराम जाट
11. सांवतराम पुत्र कुम्भाराम जाट
12. पूनाराम पुत्र कुम्भाराम जाट
13. भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाट

निवासीगण ग्राम रायमलवाडा,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

14. सहायक अभियन्ता,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
ओसियां
15. अधीषण अभियन्ता,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
ओसियां
16. तहसीलदार ओसियां

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2013 एवं निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 31 दिसम्बर 2013 न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां राजस्व वाद संख्या 147/2012 मोहनराम बनाम कमला आदि

उपस्थित-
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

निर्णय

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 147/2012 मोहनराम बनाम कमला आदि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2013 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 दिसम्बर 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2016 को प्रस्तुत की है। अपील को अन्दर मियादशुमार किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम रायमलवाडा तहसील ओसियां स्थित आराजी खसरा संख्या 640 रकबा 92 बीघा 10 बिस्वा अपना 1/10 हिस्सा जरिये विभाजन अलग किये जाने एवं तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2013 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2013 पारित किये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण जबाबदावा हेतु विचाराधीन चलने के दौरान दिनांक 23 जुलाई 2013 को रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थनापत्र के आधार पर मिसल पेशी पर ली जाकर अपीलाण्ट्स व रेस्पो. संख्या 2 से 16 की विभाजन प्रस्ताव बाबत सहमति दर्शाते हुए आगे पेशी दिनांक 31 जुलाई 2013 मुकर्रर की गयी और दिनांक 31 जुलाई 2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर विभाजन प्रस्ताव तलब कर लिये गये, जबकि अपीलाण्ट्स अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से विचारण न्यायालय में दावा निर्णित कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने कोई सहमति नहीं दी गयी और दिनांक 23 जुलाई 2013 अथवा 31 दिसम्बर 2013 की आदेशिकाओं पर भी अपीलाण्ट्स अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 जुलाई 2013 व उसके अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2013 खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार ओसियां द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थित में नहीं बनाया गया, अपितु दिनांक 30 अक्तूबर 2013 को पटवारी हळका द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव को तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2013 को भिजवाया गया है। मगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गयाा और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही फाइनल डिकी जारी कर दी गयी। उक्त विभाजन प्रस्ताव में डूंगरराम, बाबूदास, पूसाराम, दूलाराम, गोपालराम, शंकरलाल, प्रतापराम पिसरान मांगीलाल, दाखूदेवी पत्नी मांगी, अणदूदेवी पुत्री मांगीलाल, कालुदेवी पुत्री मांगीलाल को वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार दर्शाया गया है, जबकि वादी-रेस्पो. संख्या एक ने मूल वाद में इन्हें पक्षकार ही संयोजित नहीं किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकारान को मूल दावा में पक्षकार बनाये बिना पारित दावा चलने योग्य ही नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 31 जुलाई 2013 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2013 पारित होने के बाद डूंगरराम, बाबूदास, पूसाराम, दूलाराम, गोपालराम, शंकरलाल, प्रतापराम पिसरान मांगीलाल, दाखूदेवी पत्नी मांगीलाल, अणदूदेवी पुत्री मांगीलाल, कालुदेवी पुत्री मांगीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि का डालूराम पुत्र कुम्भाराम के पक्ष में दिनांक 08 जुलाई 2015 को बेचान किया जाकर म्युटेशन संख्या 1556 स्वीकृत हो चुका है, अतः बेचानकर्ताओं को अपील में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स को कथन है कि अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को दिनांक 13 जनवरी 2016 को पटवारी हळका द्वारा बताये जाने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत बताया गया तब अपीलाण्ट्स ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और नकलों हेतु आवेदन किया, दिनांक 25 जनवरी 2016 को नकलें प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी हुई और बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2024(1) आरआरटी 97 उद्धरित की और अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन कि किया विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 31 जुलाई 2013 और फाइनल डिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2016, दोनों के खिलाफ आलौच्य एक ही अपील प्रस्तुत की है, इस कारण प्रस्तुत अपील संधारणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी जारी की गयी है, विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट हीराराम की ओर से इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया गया है, विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलाण्ट हीराराम के हस्ताक्षर है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी होने के उपरान्त भी आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, तथा विलम्ब का कोई समुचित एवं स्पष्ट कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किय जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स (मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 9 से 11) सहित अन्य कुछ प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री राजेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खीचड का वकालतनामा पेश हुआ है, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 9 (वर्तमान अपील में अपीलाण्ट संख्या एक) की ओर से जबाबदावा दिनांक 08 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें वादपत्र में अंकित बिन्दु को स्वीकार/आंशिक स्वीकार करते हुए प्रतिवादी बंटवारा करवाने के लिए तैयार होना वर्णित किया गया है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं किया गया। विचारण न्यायालय के आदेशिका 23 जुलाई 2013 के अनुसार पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा वाद में प्राथमिक डिकी जारी किये जाने बाबत सहमति देते हुए तहसीलदार ओसियां से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनवाई के बाद दिनांक 31 जुलाई 2013 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पारित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। उल्लेखनीय है कि बाद की आदेशिकाओं अनुसार विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता उपस्थित हुए है, किन्तु उनके द्वारा अथवा अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी सहमति के संबंध में कोई उज्र-एतराज नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाण्ट संख्या एक का अंगुष्ठ निशान है, निर्णय व फाइनल डिकी जारी किये जाने के समय भी अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित थे, मगर विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई उज्र-एतराज नहीं किया गया है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्य-नजर अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 31 जुलाई 2013 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2013 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में संयोजित सभी प्रतिवादीगण को आलौच्य अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर डूंगरराम, बाबूदास, पूसाराम, दूलाराम, गोपालराम, शंकरलाल, प्रतापराम पिसरान मांगीलाल, दाखूदेवी पत्नी मांगीलाल, अणदूदेवी पुत्री मांगीलाल, कालुदेवी पुत्री मांगीलाल को वादग्रस्त भूमि सहखातेदार होना व इन्हें मूल वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना वाद चलने योग्य नहीं होना जाहिर किया गया है। किन्तु उक्त सभी (जो कि वस्तुतः मांगीलाल की पत्नी, पुत्र व पुत्रियां है) विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068-2071 ग्राम रायमलवाडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 640 रकबा 92 बीघा 10 बिस्वा बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान में सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य सहखातेदारान के साथ-साथ मांगीलाल पुत्र गुनाराम जाति गुर्जर बतौर सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष मांगीलाल के उक्त वर्णित पुत्र-पुत्रियों एवं पत्नी में से पुत्र डूगरराम को प्रतिवादी संख्या 16 संयोजित किया गया है और साथ ही सभी अन्य सहखातेदारान को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) आरआरटी 97 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारान को वाद में पक्षकार संयोजित करते हुए ही दावा पेश किया जाना प्रकट होता है।

मियाद के संबंध में जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, उसमें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट्स को 13 जनवरी 2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताया जाना अंकित किया गया है, मगर उक्त दिनांक तक कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के समय विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता उपस्थित रहे है और अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी होना कानूनन माना जाता है। इन परिस्थितियों में आलौच्य अपील मियाद-बाधित होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2013 तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 31 दिसम्बर 2013 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर